>

Title: Issue regarding suspending the Question Hour and allowing a discussion on price rise.

CAPT. AMARINDER SINGH (AMRITSAR): Madam, we, this morning, moved an Adjournment Motion under Rule 56, asking the Government to explain the failure in curbing the soaring prices of essential commodities particularly, pulses, vegetables, fruits, oils and other food items, causing upset in the common man's budget and helplessness of the poor. *â€¦ (Interruptions)* This is what we wanted to discuss. Now, when the Rajya Sabha has suspended the Question Hour and allowed a discussion on price rise, why cannot we have a discussion in the Lok Sabha on this issue? *â€¦ (Interruptions)*

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : अध्यक्ष महोदया, सरकार की ओर से हम तैयार हैं। आप अभी चर्चा करें, आगे चर्चा करें। आप तय करिए कि कौन से नियम के आधार पर वे नोटिस दें। आप उसे स्वीकार करिए। उस आधार पर हम नियम 193 में प्राइस राइज पर विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कोई छिपाने का विषय है ही नहीं। कौन जिम्मेदार है, पूरे देश को मालूम है। इसलिए यह बहस शुरू करिए, कोई प्राब्लम नहीं है।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): We have requested to take up the discussion under Rule 56 as an Adjournment Motion. If you allow our Adjournment Motion, we are ready to take up and discuss this issue.

माननीय अध्यक्ष : देखिए, एडजर्नमेंट मोशन और भी आए हैं, मैं कोई भी एडजर्नमेंट मोशन एलाऊ नहीं कर रही हूं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जैसा अभी कहा गया है, अगर सरकार प्राइस राइज पर चर्चा के लिए तैयार है, तो आप नोटिस दे दीजिएगा। जब आप चाहें, दोनों मिलकर तय कर लें, किसी भी समय चर्चा हो सकती है।

..(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कृपया मुझे बोलने दीजिए। इस विषय पर अलग से चर्चा हो सकती है। चर्चा के लिए मना नहीं किया है, लेकिन स्थगन प्रस्ताव के तहत नहीं होगी। आप नियम 193 में इस पर चर्चा के लिए नोटिस दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इसके अलावा अन्य जो विषय इस तरह आएंगे, नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की अनुमति दी जाएगी। सौगत राय जी ने भी रेल किराए में वृद्धि पर स्थगन प्रस्ताव दिया है। इस बारे में भी मेरा यही उत्तर है कि यह विषय स्थगन प्रस्ताव के तहत नहीं लिया जाएगा। आप नियम 193 के अंतर्गत इस पर चर्चा कर सकते हैं। वैसे भी रेल बजट पर चर्चा के दौरान आप यह मुद्दा उठा सकते हैं। राजेश रंजन जी ने भी जो मामला उठाया है, बच्चों की मौत के बारे में, हम सब उससे अति सहानुभूति रखते हैं। इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। मैं जानकारी लेकर उस पर भी कभी समय तय करके चर्चा की अनुमति दूंगी। अब हम शून्य काल को लेते हैं।

...(व्यवधान)

श्री जयप्रकाश नारायण यादव (बाँका): हमारा भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है.....(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप भी नियम 193 के तहत चर्चा के लिए नोटिस दे दें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उनका भी प्राइस राइज़ के बारे में है, आप भी नियम 193 के तहत चर्चा के लिए नोटिस दे सकते हैं। अब शून्य काल लेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: लगता है कि आप शून्य काल भी नहीं चाहते हैं।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

12.07 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)